

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(74) प्राविधि/अनु-5/जीकेएम/न्यूनतम मजदूरी दर/ईओ 65508/2014-16

जयपुर, दिनांक 10 अगस्त, 2021

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला समस्त राजस्थान।

विषय :- अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित करने के संबंध में।

प्रसंग :- श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 8(5)(6) न्यूम अमि/आई आर /श्रम/2000/पार्ट/15340 दिनांक 30.07.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रम विभाग द्वारा जारी प्रासागिक अधिसूचना दिनांक 30.07.2021 के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही विभिन्न केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं (महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोड़कर) में नियोजित अकुशल श्रमिक एवं अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) की न्यूनतम मजदूरी दर कमशः रुपये 252/- व रुपये 264/- प्रति दिवस पुनरीक्षित करते हुये इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी की जाती है।

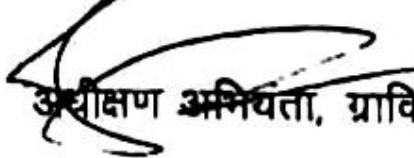
इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि श्रम विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 30.07.2021 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का विभागीय निर्माण/विकास कार्य के लिये उपयोग हेतु आदेश जारी होने की तिथि से लागू करने के साथ-साथ इन पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का इन्द्राज/अपडेशन वर्ष 2021-22 की वर्तमान बीएसआर सॉफ्टवेयर में नहीं किया जावेगा। अतः उक्त पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर एवं वर्ष 2021-22 बीएसआर सॉफ्ट में दर्ज/इन्द्राज न्यूनतम मजदूरी दर के अंतर राशि का भुगतान कार्य के तकमीने में पृथक से सम्मिलित करते हुए संबंधित कार्यकारी संस्था द्वारा उक्तानुसार अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) श्रमिक को किया जावे।

सलगन:- उपरोक्तानुसार


(के.के. पाठक)
शासन सचिव, प्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, प्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा।
6. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सगरत राजस्थान।
8. अधिशाषी अभियंता, (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सगरत राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।


अधीक्षक अभियंता, प्रावि